कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण
जिला नारायणपुर

दूरभाष नं. (कार्यालय) 07781–252328 ई–मेल dpsw.narayanpur@gmail.com

क./ 1063 /सू0अ0/स.क./2016 नारायणपुर,दिनांक 16 /09/2016

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी,
जिला नारायणपुर

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों के तहत् विभागीय जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।

संदर्भः– कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर का पत्र कमांक/28/स0अ0(सा0)/सू0अ0/2012/2005 नारायणपुर दिनांक 12.08.2016

———000———

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों के तहत् विभागीय जानकारी का इन्टरनेट पर स्व–सक्रिय प्रकटीकरण के तहत् विभागीय जानकारी अपने विभाग की वेबसाइट पर अपलोट किया जाना है।

अतः विभागीय जानकारी अपने विभाग की वेबसाइट पर अपलोट करने हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। उक्त जानकारी विभागीय की वेबसाइट पर अपलोट करने का कष्ट करें।

उप संचालक
समाज कल्याण
जिला नारायणपुर

कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला नारायणपु र की योजनाएं

वर्ष 2015–16

1. **कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना :–** निःशक्तजनों की निःशक्तता के प्रभावों को न्यूनतम करने तथा गतिशील बनाने के लिए उन्हें संशोधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा स्वयं के वित्तिय के स्त्रोत से एवं केन्द्र शासन की कृत्रिम अंग प्रदाय योजना की माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों को कैलीपर्स, ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैशाखी, श्रवण यंत्र, स्वेत छड़ी व ब्रेलकिट आदि प्रदाय किये जाते है। शासन द्वारा कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदाय हेतु हितग्राहियों की आय सीमा 5000 प्रतिमाह तक निःशुल्क तथा रूपये 5001 से 8000 तक उपकरण की कुल लागत का 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर प्रदाय किये जाने की व्यवस्था है।
2. **सामर्थ्य विकास कार्यक्रम योजनाः–** आबादी में से एक बड़ा हिस्सा समाज के उत्पादन शील वर्ग के रूप में उभर सकता है। जिन्हें पात्रता एवं वास्तुस्थिति अनुसार शल्यक्रिया और कृत्रिम अंग/उपकरणों की आवश्यकता है। इन्हें गरीबी, अकेलेपन और लाचारगी के दलदल से निकालकर प्रदेश एवं समाज के सक्रिय, सहभागी और उत्पादक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित करने की मंशा से यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य के समस्त पात्र निःशक्तजनों की कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जाना है।
3. **दीनदयाल निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम :–** निःशक्त व्यक्ति (समाज अवसर अधिकारी का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधानों का कियान्वयन के तहत राज्य सर्वेक्षण एवं जनगणना में प्राप्त निःशक्तजन की संख्या में से 40 प्रतिशत से ऊपर वाले निःशक्तजन को प्रमाणित करने हेतु दीनदयाल निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम किया गया है।कार्यक्रम के प्रथम चरण में निःशक्तजन को प्रमाणीकरण, पंजीयन एवं परिचय पत्र का विवरण किया जाता है तथा विभाग द्वारा इस हेतु शिविर का आयोजन भी किया जाता है।
4. **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :–** राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर 1995 से राज्य एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त वित्तीय संसाधनों से राज्य सरकार के नियंत्रण में संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे

जीवन यापन करने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रूपये 350/– प्रतिमाह के दर से पेंशन भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इस योजनान्तर्गत 150/– रूपये का अंशदान की पूर्ति राज्य शासन 200/– रूपये अंशदान की पूर्ति केन्द्र शासन से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर की जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रूपये 650/–प्रतिमाह के दर से पेंशन भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में 3116 हितग्राहियों को जिले में लाभान्वित किया जा रहा है।

5. **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–** इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो जिनकी प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को रूपये 20,000/– की एक मुश्त सहायता राशि प्रदाय की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में वर्तमान तक 93 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

6. **निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना :–** राज्य शासन द्वारा प्राथमिक/पूर्व/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्याालयीन शिक्षारत निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षानुसार निःशक्तजन छात्रवृत्ति प्रदाय किया जाता है। कक्षा पॉच तक 50 रूपये, कक्षा 6 से 8 तक 60 रूपये, कक्षा 9 से 12 तक 70 रूपये प्रतिमाह प्रदान की जाती है। तथा 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर 9 से 12 तक 85 रूपये, स्नातक 125 रूपये तथा स्नातकोत्तर 170 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें छात्रों को अभिभावकों को आय सीमा 8,000/– रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में वर्तमान तक 26 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

7. **निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना :–**राज्य शासन द्वारा निःशक्तजनों के सामाजिक पुनर्वास एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2005 से प्रदेश में लागू की गयी है इस योजना के तहत निःशक्त दम्पत्तियों प्रोत्साहन राशि युवक/युवती (कोई एक) के निःशक्त होने पर राशि रूपये 50,000/– तथा युवक एवं युवती दोनों के निःशक्त होने की दशा में राशि रूपये 1,00000/– एकमुश्त राशि दिये जाने का प्रावधान है। यदि दिव्यांग

अर्न्तजातीय विवाह किया हो तो रूपये 25,000/–एकमुश्त दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में वर्तमान तक 01 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

8. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :–** राज्य शासन द्वारा 40 से 79 वर्ष की विधवायें जो छत्तीसगढ़ का निवासी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर 350/–रू. प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में वर्तमान तक 1433 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

9. **सुखद सहारा पेंशन योजना :–** राज्य शासन द्वारा 18 से 39 आयु वर्ग के विधवा। 18 वर्ष से अधिक आयु के परित्यक्त महिलाओं को प्रतिमाह 350/–रू. पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में वर्तमान तक 1301 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

10. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना :–** राज्य शासन द्वारा 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के बहु विकलांग (एक से अधिक निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति) एवं गंभीर निःशक्त जिसका विकलांगता 80 प्रतिशत से अधिक हो तथा छत्तीसगढ़ का निवासी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, को 500/–रू. प्रतिमाह पेंशन राशि दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में वर्तमान तक 102 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

11. **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :–** राज्य शासन द्वारा 6 से 17 वर्ष आयु के निःशक्त बच्चे, 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति तथा बौने व्यक्तियों को प्रतिमाह 350/– रू. पेंशन राशि दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में वर्तमान तक 3197 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

12. **छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना :–** इस योजना के तहत 60 वर्ष या अधिक वृद्धजनों को लाभान्वित किया जाता है। जिले से 89 का लक्ष्य है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से 80 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र से 20 प्रतिशत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 1562 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

13. **बौद्धिक मंद बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय :–** जिला नारायणपुर में बौद्धिक मंद बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की गई है। उक्त विद्यालय में 06 से 18 वर्ष के बौद्धिक मंद बालिकाओं को विद्यालय में

प्रवेश लिया जाता है, तथा उन्हें नि:शुल्क आवास, भोजन तथा विशेष शिक्षा की व्यवस्था है। उक्त विद्यालय में वर्तमान में 15 छात्राएं अध्ययनरत है।

14. **नि:शक्तजन वित्त विकास निगम द्वारा ऋण :–** नि:शक्तजनों के लिए यह योजना लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है। इस योजना में 18 से 60 वर्ष के बीच के नि:शक्तजन जो कि 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है। इस निगम के माध्यम से 50,000रू. तक 5 प्रतिशत ब्याज एवं 50,000रू. से 5.00लाख तक के ऋण 6 प्रतिशत की ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 तक 02 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

15. **नशाबंदी योजना :–** इस योजना के तहत विभिन्न प्रचार–प्रसार माध्यम से योजना के पक्ष में सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है। नशामुक्ति के पक्ष में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, एव संकल्प एवं शपथ पत्र में हस्ताक्षर कराये जाते है।

उप संचालक
समाज कल्याण
जिला नारायणपुर